COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्र0क्र0 2236-II/05 रिवू

1- रामचन्द्र पुत्र स्व0 सुखऊ पाल
2- केमला पुत्र स्व0 सुखऊ पाल
निवासीगण ग्राम हाटा तहसील
हनुमना जिला-रीवा म0प्र0

--- आवेदकगण

विरुद्ध

1- रामचरित पुत्र स्व0 श्री राजमणि
2- मेवालाल पुत्र स्व0 श्री राजमणि
3- समयलाल पुत्र स्व0 श्री राजमणि
4- मुस0 राजमतिण पत्नी स्व0 राजमणि
5- सोहगिया पुत्री स्व0 श्री राजमणि
6- इन्द्रवा पुत्री स्व0 श्री राजमणि
समस्त निवासीगण ग्राम हाटा तहसील
हनुमना जिला-रीवा म0प्र0

--- अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर द्वारा निग0 प्रकरण क्रमांक निग0 1711-दो/2005 में पारित आदेश दिनांक 18-11-05 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन ।

राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
30 DEC 2005

मुकेश भार्गव
30-12-05 एडवोकेट
ग्वालियर

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

1- यह कि, प्रकरण के तथ्य प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

रिव्यु– 2236–दो/05 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–8–16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह रिव्यु प्रकरण मूल निगरानी प्रकरण कमांक 1711–दो/05 में पारित आदेश दिनांक 18.11.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। 2– मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष म्याद के बिन्दु पर विचारणीय था परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण करने में त्रुटि की, इसलिए अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर उसी स्टेज पर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था। अपर आयुक्त के विधिसम्मत आदेश को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18–11–05 से स्थिर रखा गया है। 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1711–दो/05 में वर्णित हैं, जिनका निराकरण आदेश दिनांक 18.11.05 से किया जा चुका है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।	

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजाजावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य